झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अपराधिक विविध याचिका संख्या 2036/2023

अमित श्रीवास्तव उर्फ अमित कुमार श्रीवास्तव, उम्र- लगभग 48 वर्ष, पिता- शैलेश कुमार अखौरी, निवासी- ड्रीम डेस्टिनेशन, इंद्रपुरी रोड नं. 2, रातू रोड, डाकखाना- हेहल, थाना- सुखदेव नगर, जिला- रांची (झारखण्ड) .....**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. कंचन ओझा, पति- राजेश कुमार ओझा, निवासी- नारायण एन्क्लेव, ब्लॉक-बी, फ्लैट नं. 501, डाकखाना एवं थाना- सदर, रांची- जिला- रांची (झारखंड)

..... **विपक्षीगण**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अमरेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री शीलेश कुमार सिन्हा, एडिशनल पी.पी

विपक्षी सं. 2 की ओर से : श्री नरेश पंडित ठाकुर, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा:- पक्षकारों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ सदर थाना मामला संख्या 550/2021 तत्स्थानी जी.आर. संख्या 998/2023 में दिनांक 10.04.2023 को पारित संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान न्या.द., प्र.श्रे., (JMFC) रांची ने भा.दं.सं. की धाराओं 406, 420, 341, 323, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने का संज्ञान लिया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने सूचनाकर्ता के पति से कुछ पत्थर के टुकड़े साख (credit) पर लिए थे और 1,02,00,000/- रुपये का बकाया था। सूचनाकर्ता और सूचनाकर्ता के पति द्वारा अन्य लोगों के माध्यम से दबाव डाले जाने पर याचिकाकर्ता ने 44,50,000/- रुपए का भुगतान कर दिया, लेकिन वह शेष राशि का भुगतान नहीं कर रहा है और

इस प्रकार धोखाधड़ी की है तथा आपराधिक न्यासभंग किया है, साथ ही एक अवसर पर, जब सूचनाकर्ता उसके पति को याचिकाकर्ता द्वारा देय धनराशि मांगने गई, तो उसने और उसकी पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा मारपीट की।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2005) 10 एस.सी.सी. 336** में रिपोर्टेड, मामले में दिए गए निर्णय का अवलम्बन लेते हुए, जिसका पैरा सं. 6 इस प्रकार है:-

> *"6. Xxxx xxxx xxxx यह अच्छी तरह से सुस्थापित है कि संविदा का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में संविदा का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई प्रवंचना किया गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखाधड़ी नहीं हो सकती। वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरू में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो कि भा.द.सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। (जोर दिया गया)*

प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का शुरू से ही धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था, बल्कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने सूचनाकर्ता के बकाया का कुछ हिस्सा चुकाया है और यह घटना, स्वीकृत रूप से पक्षों के बीच व्यापारिक लेन-देन के दौरान हुई थी, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि, भा.द.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने फिर **बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2014) 10 एस.सी.सी. 663** में रिपोर्टेड, के मामले में दिए गए फैसले का अवलम्बन लिया है, जिसका पैरा 18 इस प्रकार है:-

> *"18. वर्तमान मामले में, परिवाद में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि भा.द.सं. की धारा 405 के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह, अपीलकर्ताओं द्वारा छल या बेईमानी से पैसे को अपने पास रखने के इरादे से स्वयं को सदोष लाभ पहुँचाने या शिकायतकर्ता (परिवादी) को सदोष हानि पहुँचाने के आरोप नहीं हैं। इस स्पष्ट आरोप को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग या तो स्वयं किया या किसी अन्य कार्य के लिए किया, संपत्ति के दुरुपयोग के बेईमान इरादे के बारे में लेशमात्र भी आरोप नहीं है। आपराधिक न्यासभंग का मामला बनाने के लिए यही दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने पैसे को अपने पास रखा है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से बेईमानी से उसका निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने परिवादी को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक न्यासभंग नहीं है।" (जोर दिया गया)*

और प्रस्तुत किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक न्यासभंग का मामला बनाने के लिये यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने सौंपी गई संपत्ति का किसी तरह से बेईमानी से निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा, इसलिए, इसके अभाव में, भा.द.सं. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है और इस मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं

है कि याचिकाकर्ता ने सौंपे गए पत्थरों को बेईमानी से अपने पास रखा या गलत तरीके से विनियोजित किया, बल्कि याचिकाकर्ता से सूचनकर्ता के पति द्वारा दावा किए गए धन के भुगतान में देरी हुई है, इसलिए, अभियोग भी भा.द.सं. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाते हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा पारित **आपराधिक विविध याचिका सं. 2584/2022** के मामले में **सौरव घोष चौधरी @ सौरव घोष चौधरी @ सौरव घोष चौधरी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले पारित फैसले का भी अवलम्बन लिया है जिसमें, इस न्यायालय ने **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** तथा **बिनोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और उस मामले के तथ्यों में, जब यह स्वीकार किया जाता है कि पक्षों के बीच लंबे समय से व्यापारिक लेन-देन चल रहा था और याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता के पैसे को बेईमानी से अपने पास रखने का कोई आरोप नहीं था, इस न्यायालय ने उस मामले के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही और साथ ही सदर थाना केस सं. 550/2021 जो जी.आर. सं. 998/2023 के तत्स्थानी है, में पारित दिनांक 10.04.2023 को संज्ञान लेने का आदेश को रद्द् एंव अपास्त किया जाए

7. विद्वान ए.पी.पी. और विपक्षी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पूरी आपराधिक कार्यवाही और साथ ही सदर थाना केस सं. 550/2021 जो जी.आर. संख्या 998/2023 के तत्स्थानी है, में पारित दिनांक 10.04.2023 को संज्ञान लेने का आदेश को रद्द् एंव अपास्त करने की प्रार्थना का पुरज़ोर विरोध किया है तथा प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप, गवाहों के बयान तथा जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री, उस अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, जिसका संज्ञान लिया गया है, अतः यह प्रस्तुत किया गया कि इस आपराधिक विविध याचिका में कोई योग्यता (merit) नहीं होने के कारण, इसे खारिज किया जाए।

8. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता का लेन-देन के (transaction) आरंभ से ही कोई बेईमानी या धोखाधड़ी का आशय था, बल्कि याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता ने सूचनाकर्ता के पति को पर्याप्त धनराशि का भुगतान किया था, इसलिए, इस अदालत का यह सुविचारित विचार है कि भले ही एफ.आई.आर. में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से सत्य माने जाएं, फिर भी भा.द.सं. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

9. जहां तक भा.द.सं. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, बेशक, पक्षों के बीच लंबे समय से व्यापारिक लेन-देन चल रहा था और याचिकाकर्ता के खिलाफ उसे सौंपी गई संपत्ति के किसी भी बेईमानी से गबन का कोई आरोप नहीं है बल्कि एकमात्र आरोप यह है कि

याचिकाकर्ता ने व्यापारिक लेन-देन के दौरान सूचनकर्ता के पति को देय धन का भुगतान करने में चूक की है। ऊपर विवेचना किए गए विधि के सिद्धांत के मद्देनजर, इस अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह भा.द.सं. की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

10. जहां तक भा.द.सं. की धारा 323 और 341 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या सूचनाकर्ता या किसी अन्य का सदोष अवरोध करने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, इस अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एफ.आई.आर. की सामग्री, भले ही पूरी तरह से सच मानी जाए, फिर भी भा.द.सं. की धारा 341 या 323 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

11. जहां तक भा.द.सं. की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने सूचनाकर्ता को अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर गाली दी (परन्तु) याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख एफ.आई.आर. में नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई आरोप है कि इस तरह की गाली-गलौज से सूचनाकर्ता के मन में भय पैदा हुआ और न ही ऐसा आरोप है कि गाली-गलौज इस तरह की थी जिससे सूचनाकर्ता या किसी अन्य को शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाया जा सके, इसलिए इस अदालत की सुविचारित राय में, भा.द.सं. की धारा 504 या 506 के तहत दंडनीय अपराध भी नहीं बनता है, यद्यपि एफ.आई.आर. की अंतर्वस्तु को पूरी तरह से सत्य भी मान लिया जाए।

12. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय क यह सुविचारित विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ जी.आर. संख्या 998/2023 के तत्स्थानी सदर पी.एस. थाना कांड संख्या 550/2021 में पारित दिनांक 10.04.2023 को संज्ञान लेने का आदेश रद्द एंव अपास्त किया जाए।

13. तदनुसार, संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और साथ ही सदर थाना कांड सं. 550/2021 में दिनांक 10.04.2023 को पारित संज्ञान आदेश, जो कि जी.आर. संख्या 998/2023 के तत्स्थानी है, को निरस्त और अपास्त किया जाता है।

14. परिणामतः, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 26 फरवरी, 2024
स्मिता /ए.एफ.आर.

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।